




राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंताओं (असैनिक), सहायक अभियंताओं (असैनिक) एवं कनीय अभियंताओं (असैनिक) की आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवा लेने हेतु प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंताओं (असैनिक), सहायक अभियंताओं (असैनिक) एवं कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन हेतु स्क्रीनिंग/साक्षात्कार की प्रक्रिया किया जाना है।

2. आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजित होने वाले पदाधिकारियों/अभियंताओं के मानदेय का भुगतान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।
3. सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ली जा सकेगी।
4. कार्य कुशलता संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निगम किसी भी समय आउटसोर्सिंग को समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. जो अभ्यर्थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन हेतु इच्छुक होंगे वे दिनांक-13.10.2023 (शुक्रवार) 11:00 बजे से संगत अभिलेखों के साथ निगम कार्यालय के सभाकक्ष में स्क्रीनिंग/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।


महाप्रबंधक (प्रशासन)

आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम:—
2. आवेदक का पत्राचार का पता एवं स्थाई पता:—
3. आवेदक की जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि:—
4. आवेदक की कोटि:—
5. सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व का तीन पदस्थापन का विवरण:—

मैंप्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित

उपर्युक्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं तिथि:—

मोबाईल नं०:—